बच्चों को जुकाम हो तो सात दिन की दें छुट्टी

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अब कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका का पहला काम बच्चों का परीक्षण करना होगा। यदि बच्चे में जुकाम-खांसी के लक्षण मिलते हैं तो बच्चे को सात दिन बेड रेस्ट के लिए तुरंत घर भिजवाना होगा। स्कूल प्रबंधन इन बच्चों से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग भी नहीं करेगा।

शिक्षा विभाग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए संवेदनशील हो गया है। स्वाइन फ्लू से बचाने में वह अपने स्तर पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है।

प्रमुख सचिव चिकित्सा ने किया अलर्ट : शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) अमरनाथ वर्मा ने बुधवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पैंडमिक स्वाइन फ्लू से रोकथाम और बचाव बहुत जरूरी है। प्रमुख सचिव चिकित्सा ने स्कूलों के संदर्भ में अलर्ट किया है।

पहला काम बच्चों का परीक्षण : सभी स्कूलों में जब बच्चे कक्षाओं में पहुंच जाएं तो हर बच्चे का शिक्षक या शिक्षिका परीक्षण करेंगे। इस दौरान यदि शिक्षक या शिक्षिका को लगता है कि बच्चे में स्वाइन फ्लू के लक्षण जैसे जुकाम, बुखार, खांसी आदि हैं तो उसे छुट्टी दे दें। उसे फौरी 07 दिन आराम करने की सलाह देकर घर वापस कर दिया जाए।

प्रार्थना सभा पर पहले से रोक : सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा पर फिलहाल रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह भी इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिक संख्या में बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित न होने दें।

शिक्षा विभाग या प्रशासन भले ही कागजों में दिशा निर्देश जारी कर यह संतोष कर लें कि उनकी बात स्कूलों तक पहुंच गई है। पर सच्चाई यह है कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहां प्रार्थना सभाएं होती थीं वहां अभी भी हो रही हैं।

K कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालय.: "पान पराग हाउस" 24/19, द मॉल, कानपुर (यू.पी.)–208001
फोन नं.: (0512)-2312171-74 और फैक्स नं.: (91) (0512) 2312058
ईमेल: rkgupta@kothariproducts.in, वेबसाइट: http://www.kothariproducts.in,
CIN: L16008UP1983PLC006254

33वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11.30 बजे होटल विजय इंटर कान्टीनेन्टल, 10/510 खलासी लाइन, तिलक नगर, नियर रेव–3, कानपुर में एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। नीचे उल्लेख किए गए चार साधारण व्यवसायों का लेन देन किया जाएगा।

1. कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (समेत समेकित वित्तीय कथन) 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर एवं निर्देशक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार एवं ग्रहण करना।
2. कम्पनी के उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए दिए जाने वाले लाभांश को घोषित करना।
3. श्री मितेश कोठारी, जिनकी रोटेशन द्वारा निवृत्ति हो रही है एवं जिन्होंने योग्य होते हुए खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया है, के स्थान पर एक निदेशक कि नियुक्ति करना।
4. मेसर्स राजीव मेहरोत्रा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, को कम्पनी का लेखा परीक्षक नियुक्त करना, जो कि इस वार्षिक बैठक से लेकर कम्पनी के अड़तीसवीं वार्षिक बैठक तक पद धारण करेंगे, लेकिन हर वर्ष उनका अनुमर्थन किया जाएगा और कम्पनी के निदेशक मंडल को इनका पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत करना।

वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना उन सभी सदस्यों को, जो दिनांक 18 अगस्त 2017 की समाप्ति पर जिनका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में एवम डिपोजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी है जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत हैं और वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को निधारित माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) भेजने का कार्य 29 अगस्त, 2017 को पूरा हो गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017 से शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी। पूर्वोक्त बन्दी कम्पनी की होने वाली वार्षिक आम बैठक एवम लाभांश वितरण के लिये की जा रही है। यह लाभांश यदि पूर्वोक्त बैठक में घोषित किया जाता है तो यह पूर्वोक्त बैठक से 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित सदस्यों को भुगतान कर दिया जायेगा या सम्बन्धित लाभांश का चेक भेज दिया जायेगा–

क) उन सदस्यों को जिनका कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2017 की दिन समाप्ति पर पूर्वोक्त दिनांक को या उससे पूर्व तक प्राप्त हुऐ शेयर अंतरण को अंतरित करने के पश्चात्, भौतिक शेयर धारक के रूप में नाम अंकित होगा।

ख) डीमेट शेयर्स के सम्बन्ध में वह सदस्य जिनका उपरोक्त दिनांक की समाप्त के वक्त नेशनल सिक्योरिटीस डिपाजिटरी लिमिटेड एवम सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड के द्वारा प्रदत्त् विवरणी में नाम अंकित है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में कम्पनी रिकॉर्ड तिथि अर्थात् शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटिरिलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर नेशनल सिक्योरिटीस डिपासिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश सूचना में दिए गए हैं।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क. रिमोट ई–वोटिंग अवधि 19 सितम्बर, 2017 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और 21 सितम्बर, 2017 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। कथित तिथि व समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग हटा ली जाएगी।

ख. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या एजीएम में वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017 है।

ग. कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और रिकॉर्ड तिथि अर्थात् शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017 को शेयर धारण करता है, वह सूचना में दर्शाए गए रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

घ. सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में शामिल हो सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के पश्चात उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ङ. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और एजीएम में उपस्थित हैं, उन्हें एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

च. वह व्यक्ति जिसका नाम डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 15 सितम्बर, 2017 को दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

छ. वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.kothariproducts.in पर उपलब्ध है। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर सदस्यों के निरक्षण हेतु एजीएम की तिथि तक सभी कार्यकारी दिवस पर (रविवार एवम सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) 11:00 से 1:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी उपरोक्त प्रपत्र एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

ज. रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') या रिमोट ई–वोटिंग नियमावली का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 4वां फ्लोर, कमला मिल्स कमपाउन्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई, फोन नं. 022–24994738/022–24994600 या rajeevr@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं।

झ. ई–वोटिंग करने का तरीका तथा उसके दिशा निर्देश सूचना के टिप्पणी एवम ई–वोटिंग प्रारूप (जो कि सूचना का अभिन्न अंग है) में दिए गए हैं।

ई–वोटिंग का परिणाम वार्षिक आम सभा से 3 दिन के अन्दर घोषित कर दिया जायेगा/पूर्वोक्त परिणाम एंवम पर्यवेक्षक रिपोर्ट कम्पनी की वेवसाइट www.kothariproducts.in एंवम एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर पूर्वोक्त सभा से तीन दिन के अन्दर दर्शा दी जायेगी तथा यह स्टाक एक्सचेंजो को भी भेजी जायेगी।

सभी सदस्यों जिनको पूर्वोक्त सभा में भाग लेने एंवम वोट देने का अधिकार है उनको अपनी जगह पर प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा एंवम उस प्रतिनिधि को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा। प्रतिनिधि की नियुक्ति करने वाले प्रपत्र को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त सभा के शुरू होने से 48 घंटे पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेवसाइट www.kothariproducts.in पर एंवम स्टाक एक्सचेंजो की वेवसाइटस् www.bseindia.com एंवम www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है।

कृते कोठारी प्रोडक्टस लिमिटेड

(राज कुमार गुप्ता)
कम्पनी सचिव
एफसीएस–3281

स्थानः कानपुर
दिनांकः 30 अगस्त, 2017

गम्भीर हालत में भर्ती कराए गए थे सभी बच्चे, बाल रोग विभाग में मरीजों की भीड़ बढ़ी, अस्पताल प्रबंधन सतर्क

हैलट में बुखार से तीन बच्चों की मौत पर हड़कंप

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

बुखार से पीड़ित तीन बच्चों की हैलट अस्पताल में मौत हो गई। तीनों बच्चों का इलाज बाल रोग विभाग में चल रहा था। मरने वाले बच्चों में दो फतेहपुर के और एक बच्चा कल्याणपुर का है। तीनों में दो कोमा की हालत में अस्पताल लाए गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में डेंगू, मलेरिया और टायफाइड के लक्षण एक साथ मिल रहे हैं।

कल्याणपुर के बसौसी गांव निवासी शिवम पुत्र अजय को छह दिन पूर्व बाल रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। उसके चेस्ट में संक्रमण की शिकायत थी। साथ ही बुखार के साथ सेप्टीसीमिया भी हो गया था। डॉक्टरों की कोशिश बुधवार को नाकाम हो गई। दोपहर 12 बजे के आस-पास बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसी तरफ फतेहपुर निवासी छेदीलाल निवासी चांदपुर के छह वर्षीय पुत्र दिलीप को भी कोमा की हालत में अस्पताल लाया गया था। मंगलवार को बच्चे की सांस उखड़ गई। नीलमदेवी पुत्री हरीशचन्द्र (12) को भी बुखार था।

28 अगस्त को भर्ती कराई गई थी 29 की रात बच्ची ने दम तोड़ दिया। इलाज करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक इलाज में देरी से बच्चों की हालत बिगड़ रही। बेहद गम्भीर हालत में ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज आ रहे हैं। बाल रोग विभाग के सीएमएस डॉ. अरुण कुमार आर्या का कहना है कि 70 फीसदी बच्चे बुखार सर्दी जुकाम और निमोनिया की शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या लगभग दो गुना हो गई है। झोलाछाप और केमिस्ट के चक्कर में लोग फंस रहे हैं। जब बच्चे गम्भीर हो जाते हैं तब लोग घर से लेकर चलते हैं। इससे दिक्कत बढ़ जाती है।

बुधवार को हैलट बाल रोग में बुखार पीड़ित बच्चे के सिर पर भीगे कपड़े की पट्टी रखती महिला। • हिन्दुस्तान

हैलट में सीबीसी समेत कई जांचें ठप

कानपुर। हैलट अस्पताल में 24 घंटे पैथोलॉजी में रियजेंट खत्म होने से पैथोलॉजी की कई जांचें ठप हो गई। दोपहर 12 बजे के बाद सीबीसी और इलेक्ट्रोलाइट की जांच नहीं हो पाई। ओपीडी में आने वाले मरीजों के सैम्पल नहीं लिए गए। बाहर से आने वाले मरीज बगैर जांच के वापस चले गए। विशेषज्ञों के मुताबिक 80 फीसदी मरीजों की सीबीसी जांच कराई जाती है। जांच नहीं होने से बड़ी संख्या में मरीज या तो लौटे हैं या प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। प्राचार्य प्रो. नवनीत कुमार के मुताबिक गुरुवार को जांच बहाल हो जाएगी। कंपनी से रियजेंट की सप्लाई करने को कहा गया है।

02 सौ 60 मरीज हैलट बाल रोग ओपीडी में आए

82 बच्चे बाल रोग अस्पताल में भर्ती किए गए

45 बच्चों को बुखार की शिकायत, बराबर की जा रही मॉनीटरिंग

56 बच्चे एनआईसीयू में किए गए भर्ती परिजनों में खौफ

स्वाइन फ्लू से दो और की मौत, अब तक आठ मौतें

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

स्वाइन फ्लू से दो और मरीजों की मौत हो गई। एक महिला रीजेंसी अस्पताल में भर्ती थी जबकी दूसरे का इलाज संक्रामक रोग अस्पताल में चल रहा था। इन मौतों के बाद स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या आठ हो गई है।

संक्रामक रोग अस्पताल में भर्ती कल्याणपुर निवासी 28 वर्षीय महिला को हैलट से रेफर किया गया था। उसकी जांच प्राइवेट पैथोलॉजी से कराई गई थी। संक्रामक रोग अस्पताल में भी जांच का नमूना लिया गया था मगर जांच रिपोर्ट नहीं मिली। बुधवार की सुबह 10 बजे महिला ने दम तोड़ दिया। इसी तरह दबौली की 65 वर्षीय महिला की भी जांच पॉजिटिव थी। लगातार हो रही मौतों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खासे हलकान हैं। इस बाबत अस्पताल के सीएमएस डॉ. अनूप कुमार शुक्ला के मुताबिक महिला का इलाज शुरू कर दिया गया था। उसकी हालत बेहद गम्भीर थी। डॉ. शुक्ला के मुताबिक मौतों और भर्ती होने वाले मरीजों का ब्योरा रोजाना सीएमओ को भेज दिया जाता है।

संदिग्ध मरीजों का जांच नमूना लेने का काम हो गया बंद

कानपुर। स्वाइन फ्लू के संदिग्ध रोगियों के जांच का नमूना लेने का काम रोक दिया गया। बुधवार को संक्रामक रोग अस्पताल में एक भी मरीज का नमूना नहीं लिया गया। जांच मशीन खराब होने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कोई गाइड लाइन नहीं आने से जांच सैम्पल लेने का काम रोका गया है। तीन दिनों से मेडिकल कॉलेज में मशीन खराब होने से स्वाइन फ्लू की जांच नहीं हो पाई। जांच के लिए रखे 35 सैम्पल खराब हो गए। इनमें ऐसे मरीज भी शामिल हैं जो विभिन्न अस्पतालों में गम्भीर हालत में भर्ती हैं।

माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक 48 घंटे बाद जांच के सैम्पल खराब होने लगते हैं। उधर संक्रामक रोग अस्पताल के विशेषज्ञों के मुताबिक सीएमओ की ओर से जांच कराने को लेकर कोई पहल नहीं हो पाई। इससे संशय की स्थित पैदा हो गई। सीएमओ डॉ. एके शुक्ला का कहना है कि बुधवार की शाम 10 सैम्पल जांच को लखनऊ भेजे गए हैं।

स्वाइन फ्लू-डेंगू को लेकर बरतें सतर्कता : जिलाधिकारी

कानपुर। जिला स्वास्थ्य कमेटी की बैठक में बुधवार को स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर डीएम सुरेन्द्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुखार कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों से जरूरी उपाय करने को कहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए। दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिए टीके और मास्क का इंतजाम पर्याप्त मात्रा में हो। डीएम सुरेन्द्र सिंह ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की जरूरत बताई इसके लिए नेटवर्क को ठीक करने की बात कही। उन्होंने 75 आशाओं को नए प्रशिक्षण देने पर अपनी रजामंदी दी। साथ ही चौबेपुर सीएचसी में लक्ष्य के अनुरूप प्रसव नहीं होने पर अधिकारियों को चेताया भी। बैठक में सीएमओ डॉ. एके शुक्ला, एसीएमओ डॉ. एके सिंह समेत सभी योजनाओं के नोडल अधिकारी मौजूद थे।

कहां से आ रही नकली नोट छापने की सामग्री

फॉलोअप

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

रसूलाबाद, पुखरायां समेत कई जगहों पर नई करंसी के नकली नोट छापने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पर अभी तक पुलिस को यह पता नहीं चल सका है कि जाली नोट छापने की सामग्री इन जालसाजों के पास कहां से और कैसे आ रही है।

मंगलवार को रसूलाबाद पुलिस ने अश्वनी, जयप्रताप गौर और राजकुमार तिवारी को गिरफ्तार कर उनके पास से 12.39 लाख के जाली नोट बरामद किए। अश्वनी जन सेवा केन्द्र चलाता है। इससे पहले पुखरायां पुलिस ने 6 जनवरी 2017 को जनसेवा केन्द्र चलाने वाले समरेन्द्र सचान, आशीष कुमार और प्रसून सचान को गिरफ्तार कर इनके पास से 7.64 लाख की करंसी पकड़ी थी।

पकड़े गए नोट भी एक ही सीरीज के नंबर के थे।

जनसेवा केन्द्र क्यों

दोनों बड़ी बरामदगी में एक तथ्य समान है कि दोनों ही घटनाओं में मुख्य आरोपी जनसेवा केन्द्र चला रहे थे। सवाल है कि जन सेवा केन्द्र चलाने वालों का क्या ऐसे लोगों से सम्पर्क है, जो नई करंसी के जाली नोट छापने की सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

2000 के नोट छापना संभव नहीं

केन्द्र ने दो हजार के नए नोट जब बाजार में उतारे थे तो स्पष्ट था कि 2000 के नकली नोट छापना सम्भव नहीं। उसकी इंक और कागज इस तरह के हैं कि उसकी आम तौर पर छपाई सम्भव नहीं है।

कैरियर भी सक्रिय

नोट छापने की घटनाओं से पहले नकली नोट के कैरियर भी यहां सक्रिय रहे हैं। रसूलाबाद में पकड़े गए आरोपियों में शहर के एक कैरियर का नाम भी आया है जो 30 हजार के असली नोट के बदले एक लाख के नकली नोट ले जाता था। जब देश में पांच सौ और हजार के नोट बंद हुए और दो हजार के नोट आए तो नेपाल से भारत आ रहे दो लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट लाखों की नई करंसी के साथ पकड़ा गया। जांच में सामने आया था कि नेपाल में नई करंसी छप रही है। 9 अक्तूबर 2016 को जोगबनी एक्सप्रेस में बिहार से आ रहे एक कैरियर को पकड़ा गया था। इसके पास 3.97 लाख की नकली करंसी बरामद हुई।

जांच को आगे आईं कई टीमें

पुलिस अधिकारियों ने मामले को गम्भीरता से लिया है। इस पूरे मसले की जांच के लिए पुलिस, क्राइम ब्रांच, एलआईयू, इंटेलीजेंस समेत अन्य एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। इसमें इंक, पैपर, स्पेशल प्रिंटर समेत अन्य सामग्री का कारोबार करने वालों को टारगेट किया गया है। टीमें यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि आखिरकार नई करंसी के नोट कैसे छापे जा रहे हैं।

फुटकर में खपाए जा रहे थे नोट

कानपुर देहात। रसूलाबाद में क्राइम ब्रांच टीम के हत्थे चढ़े नकली नोट बनाने वाले अभी पूरी तरह इस कारोबार में शातिर नहीं हो पाए थे। उनके छापे नोट एकमुश्त कहीं नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्हें बाजार में एक-एक कर खपाया जा रहा था। एक ही सीरीज पर कई गड्डी तैयार होने के कारण नोट एक साथ नहीं चलाए जा सकते थे।

फोटो कापी के जरिए नोट तैयार करने के कारण पूरी गड्डी पर एक ही नंबर होता था। इसलिए इन्हें चलाने में भी उनके सामने खासी मुसीबत थी। इसी वजह से वह तैयार नोटों को महज 30 फीसदी पर कानपुर के रोहित को सौंप देते थे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि शातिर बड़ी रकम में कुछ नकली नोट शामिल कर बाजार में चलाते थे। नकली नोटों को देहात में न चलाकर उसे कानपुर शहर व उसके पड़ोसी जिलों खासकर ग्रामीण इलाकों में खपाया जाता था।

न्यूज कॉर्नर

एटीएम कार्ड बदल कर की धोखाधड़ी

कानपुर। कर्नलगंज निवासी सुमन त्रिपाठी बुधवार को डीआईजी के यहां शिकायत लेकर पहुंचीं। उनका आरोप है कि 27 अगस्त को उनके पति सुभाष चन्द्र त्रिपाठी चुन्नीगंज पेट्रोल पम्प के पास स्थित एटीएम से रुपए निकालने गए। उस दौरान एक ट्रांजेक्शन फेल होने पर पैसा फंस गया। इसी दौरान पीछे खड़े दो अज्ञात लोगों ने मदद के नाम पर एटीएम कार्ड बदल लिया। उसके बाद जब दम्पति वहां से चले तो थोड़ी देर बाद उनके पास एक हजार रुपए निकल जाने का मैसेज आया। डीआईजी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जमीन पर कब्जा दिलाने को डीएम को लिखा पत्र

कानपुर। राजस्व परिषद का फैसला आने के बाद राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिख कर जल्द उन्हें जमीन मुक्त कराकर कब्जा दिलाने को पत्र लिखा है। संस्थान ने हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल कर दी है कि बिना उन्हें सुने दूसरे पक्ष की बात न सुनी जाए।

कल्याणपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) की करीब पांच एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। इसको लेकर 2003 से राजस्व परिषद में मामला विचाराधीन था।

सेवानिवृत्त अफसर से भी हो सकती पूछताछ

कानपुर। बिहार के फर्जी लाइसेंस पर असलहा बेचने पर फर्जी ट्रांजिट लाइसेंस बनाने के मामले में जल्द ही एटीएस अब अफसरों से पूछताछ कर सकती है। पूरे मामले में एक सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर का नाम भी हस्ताक्षर करने में सामने आया है। उन्होंने कई ट्रांजिट लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। 2014 से 2016 के बीच में वह सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर एसीएम के पद पर तैनात थे।

विकास भवन से गैर हाजिर क्लर्क निलंबित

कानपुर। विकास भवन से गैरहाजिरी चल रहे कनिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया गया है। अवकाश स्वीकृत कराए बिना ही सहायक शांति स्वरूप गैरहाजिर चल रहे हैं। सीडीओ की ओर से जब 24 अगस्त को हाजिरी रजिस्टर देखा गया तो कनिष्ठ सहायक की पूरी पोल-पट्टी खुल गई। इसलिए डीपीआरओ ने कनिष्ठ सहायक को निलंबित करके उसे उप निदेशक पंचायत कानपुर मंडल कार्यालय में सबंद्ध कर दिया।

ऐसे पहचानें दो हजार व पांच सौ के असली नोट

रहें सतर्क

कानपुर | प्रमुख संवाददाता

पुरानी करंसी के लिए नासूर बन चुके नकली नोट अब दो हजार और पांच सौ की नई करंसी के लिए भी मुसीबत बनने लगे हैं। नई करंसी के भी डुप्लीकेट नोट से जाहिर है कि बाजार में इनकी मौजूदगी दर्ज हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि दो हजार और पांच सौ के असली और नकली नोट में अंतर समझने लगें।

अगर आपको नकली और असली नोटों की जानकारी हो तो आप आसानी से असली और नकली करंसी का पता लगा सकते हैं। ऐसे 21 फीचर हैं, इनसे आप नए 500 व 2000 के नोटों के असली या नकली होने का पता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीजें नोटों के बार में पता है तो आप आसानी से असली और नकली नोटों को अलग कर सकते हैं।

इसका रखें ख्याल

- दो हजार के नोट के आगे की ओर सी थ्रू रजिस्टर में दो हजार लिखा है।
- नोट पर दो हजार रुपये की लेटेंट तस्वीर है।
- महात्मा गांधी के दाएं और देवनागरी भाषा में दो हजार रुपये लिखा गया है। इसमें रुपये का नया साइन है।
- महात्मा गांधी की तस्वीर नोट के बीच में बनी हुई है।
- नोट के बाए और माइक्रो लेटर्स में आरबीआई व दो हजार लिखा है।
- नोट में सिक्योरिटी थ्रेड दिया गया है। इसमें भारत, आरबीआई और दो हजार लिखा हुआ है। नोट को थोड़ा टेढ़ा करके देखने पर थ्रेड का रंग हरे से नीला बदलता है।
- नोट के दायें ओर गवर्नर के हस्ताक्षर, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉस दिया गया है। इसके अलावा इसमें आरबीआई का लोगो भी देखा जा सकता है।

ये भी रखें ध्यान

- नोट को लाइट में देखने पर सफेद रंग वाली जगह पर महात्मा गांधी का चित्र देखा जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क भी है।
- ऊपर से बायें और नीचे से दायें ओर नंबर पैनल दिया गया है। पैनल में नंबर छोटे से बड़े तरीके से लिखे गये हैं।
- नोट के बायें से नीचे की ओर दो हजार रुपये लिखे गये हैं। इसके अलावा पांच सौ की नोट में पांच सौ अंक लिखा गया है। इसमें रंग का बदलाव भी है।
- नोट के नीचे से बायें ओर अशोक स्तम्भ है।
- बायें ओर नोट में सात लाइन भी दी गई है।
- नोट के पिछले भाग में दायें ओर दो हजार रुपये/पांच हजार रुपये लिखें जाने के साथ साथ उसके ऊपर अंक में भी लिखा गया है।
- नोट में पीछे की ओर स्वच्छ भारत का लोगो दिया गया है।

अपराधी की 2.42 करोड़ की सम्पत्ति होगी जब्त

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

बिल्हौर का मामला

- अपराधी कई मामलों में था वांछित कई अपराधिक मामले भी दर्ज थे
- जिलाधिकारी के यहां इंस्पेक्टर द्वारा लगाई गई रिपोर्ट

माफिया के खिलाफ एफआईआर, उन्हें जेल भेजना उन पर मुकदमे लादना यह कार्रवाई तो पहले भी पुलिस द्वारा कई बार की जा चुकी है मगर इस बार डीआईजी सोनिया सिंह ने बदमाशों को आर्थिक रूप से ध्वस्त कर उनकी कमर तोड़ने का तरीका भी निकाल लिया। उन्होंने बिल्हौर के अपराधी की 2.42 करोड़ की सम्पत्ति जब्तीकरण के आदेश करा दिए।

कस्बा बिल्हौर में गोलू मार्केट का मालिक पंकज उर्फ गोलू बड़ा शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ बिल्हौर से लेकर कई कानपुर देहात तक के थानों में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में वह वांछित भी है। डीआईजी सोनिया सिंह ने माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पंकज उर्फ गोलू का पूरा अपराधिक इतिहास निकलवाया। उसके बाद पुलिस ने उसमें ठोस पैरवी कर गोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कराई। मगर मामला यहीं नहीं थमा। डीआईजी के निर्देशों पर इंस्पेक्टर बिल्हौर आरसी पाण्डेय ने गोलू की उन सम्पत्तियों का ब्योरा जुटाया जो उसने अपराध कर अर्जित की है। जांच में पता चला कि गोलू मार्केट ही अपराध से अर्जित धन से बनवाया गया है।

इंस्पेक्टर ने पैरवी कर सम्पत्ति जब्तीकरण की रिपोर्ट डीएम के यहां भेजी। वहां पर पैरवी करने के बाद बुधवार को डीएम ने गोलू की 2.42 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्तीकरण के आदेश कर दिए। इस बाबत डीआईजी सोनिया सिंह ने बताया कि यह अपने तरीके की पहली कार्रवाई है। इससे अपराधियों का मनोबल टूटेगा। हम और माफियाओं को चिन्हित कर रहे हैं।

कानपुर विकास प्राधिकरण

पत्रांकः डी/116/मु.अ./का.वि.प्रा./17-18 दिनांक : 30.08.2017

ई-निविदा सूचना

कानपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा सूचना व्ययानुमान धनराशि, धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, कार्य पूर्ण करने की अवधि, निविदा डालने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि तथा अन्य नियम व शर्तों का उल्लेख है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा डालने की तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1.	हाईवेसिटी विस्तार योजना भाग-2 में दो पम्प हाउसों का निर्माण कार्य।	10.09.2017 अपरान्ह 3.00 बजे	11.09.2017 अपरान्ह 4.00 बजे

इच्छुक ठेकेदार से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, क्योंकि निविदा के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्य अभियन्ता

सुबह भरा गया था ज्योति के शव का पंचनामा

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

ज्योति हत्याकांड के मामले में बुधवार को पंचनामा भरने वाले दरोगा की गवाही हुई। दरोगा ने न्यायालय को जानकारी दी कि ज्योति के शव का पंचनामा वारदात के दूसरे दिन सुबह छह बजे भरा गया था। पंचनामा में डेढ़ घंटे का समय लगा था। बरांडा रेस्टोरेंट के मालिक भी पेश हुए। उनकी गवाही अब गुरुवार को होगी।

एडीजे प्रथम रजत सिंह जैन की अदालत में वर्तमान समय में ललितपुर में तैनात एसआई जितेंद्र सिंह चौहान पेश हुए। जितेंद्र सिंह ने ही ज्योति के शव का पंचनामा किया था। अभियोजन पक्ष के वकील दामोदर मिश्र और धर्मेंद्र पाल सिंह के मुताबिक दरोगा ने न्यायाधीश को बताया कि वारदात के दूसरे दिन 28 जुलाई 2014 को सुबह पंचनामा भरने की सूचना दी गई। सुबह 6 बजे पंचनामा भरना शुरू हुआ। लगभग डेढ़ घंटे तक प्रक्रिया पूरी करने में लगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद नकवी, कमलेश पाठक और सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दरोगा से जिरह की।

इस मामले में छानबीन में आया कि ज्योति अपने पति पीयूष श्यामदासानी के साथ वारदात के दिन कंपनी बाग चौराहा के पास स्थित बरांडा रेस्टोरेंट गई थीं। अभियोजन ने बरांडा रेस्टोरेंट के मालिक शुभम पोद्दार को भी तलब किया था।